भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 23A/2018–19

पुन्डी बांकिरा **बनाम** 1. राखाल माहली 2. बुधराम माहली

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
26-06-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, कुचाई के पत्रांक 358 दिनांक 13.06.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 23A/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता पुन्डी बांकिरा पति–स्व0 मगरा बांकिरा, ग्राम–पोन्डाकाटा, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता 1.राखाल माहली 2. बुधराम माहली दोनों के पिता स्व0 धनेश्वर माहली, ग्राम–पोन्डाकाटा, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
पोन्डाकाटा	38	10	242	0.55ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ससुर एवं अन्य के नाम से जमाबंदी दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। बिक्रेता के पास 6.03 एकड़ भूमि है, जिसमें से 0.55 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 5.48 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'हो' एवं 'माहली' जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.55एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

26/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।